उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671, 2720665, 2720670
Fax-0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

Registered Office :
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

संख्या 3551 /AC/99/5001/94 दिनांक 08-12-14

कार्यालय ज्ञापः

संज्ञान मे आया है कि निगम के विभिन्न इकाईयों पर पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से कार्य कराया जाता है तथा उनके द्वारा कराये गए कार्यो के सापेक्ष निगम द्वारा भुगतान भी किया जाता है, परन्तु कभी–कभी ऐसे पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा अपने अवशेष अथवा कम भुगतान होने की बात कहते हुए भुगतान की मॉग करने हेतु पत्राचार किया जाता है।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निगम द्वारा पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा किसी फर्म को किए गए पूर्ण एवं संतोषजनक भुगतान का फारखती (No Claim Certificate) सम्बन्धित पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से प्राप्त कर ली जाए। जिससे भविष्य में किसी विधिक कार्यवाही से बचा जा सकें।

अतः निगम हित में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ ठेकेदार अथवा फर्म को निगम द्वारा किए जा रहे भुगतान के साथ ही साथ संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती (No Claim Certificate) अवश्य प्राप्त कर लिया जाए तथा ऐसे फारखती (No Claim Certificate) पर सम्बन्धित इकाई के इकाई प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये एवं इकाई के रिकार्ड में रखा जाये। फारखती (No Claim Certificate) के बिना किए गए भुगतान के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई मॉग पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा प्रभारी तथा इकाई प्रभारी का होगा।

यह भी उल्लेख करना है कि निगम के निदेशक मण्डल की दिनॉक 26/09/2014 को सम्पन्न हुई 170वीं बैठक के कार्यवृत्त की विषयवस्तु संख्या–16 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पी0आर0डब्लू0 को द्वितीय वर्क आर्डर तब ही जारी किया जाए जब पूर्व मे जारी वर्क आर्डर का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया गया हो। अतः इसका अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस सम्बन्ध मे किसी भी रूप में शिथिलता न बरती जाए। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पायी जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय
(वी0 के0 प्रभाकर)
वित्तीय परामर्शदाता

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त अंचलीय अति0 म0प्र0/महाप्रबन्धक उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0 ....
(2) वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(3) महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(4) महाप्रबन्धक (यान्त्रिक) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(5) लेखानियन्त्रक उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय लखनऊ।

वित्तीय परामर्शदाता